

पत्रांक: ३२५९ / निरोहो / १३ / अं०पें०यो० / २००८

प्रेषक,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी,
२३-लक्ष्मीरोड, डालनवाला,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

दिनांक: ०२ जनवरी, २००८
विषय: दिनांक ०१ अक्टूबर, २००५ से लागू अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धी
शासनादेश संख्या २१/XXVII(7)/अं०पें०यो०/२००५, दिनांक २५
अक्टूबर, २००५ का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के वित्त विभाग
से अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या २१/XXVII(7)/
अं०पें०यो०/२००५, दिनांक २५ अक्टूबर, २००५ का स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या ३४६
XXVII(7)/२००७, दिनांक २१ नवम्बर, २००७ निर्गत किया गया है। इसकी प्रति इस पत्र
के साथ इस आशय से उपलब्ध करायी जा रही है कि इसका भली भौति अध्ययन
करके इसमें निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना का कियान्वयन अपने
कोषागार स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप की
छाया प्रति अपने कोषागार से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों
को भी अवश्य उपलब्ध करा दी जाय ताकि वे भी इसमें वर्णित व्यवस्था से भिज्ज हो
सकें और योजना के कियान्वयन में कोषागार का सहयोग कर सकें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एल०एन० पंत)
अपर निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वै0310-सा0नि0)अनु0-7
संख्या: ३४६/xxvii(7)/2007
देहरादून, दिनांक: २। नवम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- दिनांक 01-10-2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या: २१/xxvii(7) अं0पै0यो/2005, दिनांक: 25 अक्टूबर, 2005 का स्पष्टीकरण।

अधोहरताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश संख्या: २१/xxvii(7)/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा प्रदेश में दिनांक 01-10-2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में विभिन्न विवारणों संगठनों एवं सरथाउट द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध में विन्दुवार निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष र्खीकृति प्रदान करते हैं:-

जिज्ञासा

1. पेंशन टियर-1 से संबंधित प्रपत्रों का रख-रखाव व प्रेषण किस प्रकार किया जाएगा?

2. यदि किसी कार्मिक की, जो अंशदायी पेंशन योजना का सदर्य नहीं है, त्रुटिवश किसी माह उसके वेतन से अंशदान की कटौती पेंशन टियर-1 में हो जाती है तो उसकी वापरी की प्रक्रिया क्या होगी?

3. स्वैच्छिक टियर-2 लेखे का रख-रखाव किस रूप में होगा?

स्पष्टीकरण

पेंशन टियर-1 के प्रपत्र-1, को प्रथम नियुक्ति आदेश साथ आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम एवं को अंकित करके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहरताक्षर कर संबंधित कोषागार को भेजा जाय, ताकि आहरण वितरण अधिकारी वार डाटा बेरा तैयार किया जा रहा एवं नियमानुसार इराकी एक प्रति निदेशक, लेखा एवं हकदारी को कोषागार द्वारा उपलब्ध करायी जाय।

यदि किसी कार्मिक की त्रुटिवश अंशदान पेंशन कटौती हो गयी हो तब संबंधित कोषागार द्वारा अगिलेरी की पुष्टि के बाद सुसंगत लेखाशीर्षक जिरामें धनराशि स्थानान्तरित की गयी हो, से घटाइये वापरियों व प्रक्रिया के अधीन कर्मचारी का अंश रिफण्ड किया जाएगा तथा नियोक्ता का अंश जिस लेखा शीर्षक से वेतन आहरित किया गया हो उसके समरूप राजरव प्राप्ति लेखाशीर्षक में धनराशि राजकोष में पूर्ण रथानान्तर (Whole Transfer) प्रक्रिया के अधीन जमा जाय।

अंशदान पेंशन योजना में टियर-2 का रख-रखाव अनिवार्य की बजाय विकल्प पर आधारित सामान्य भविष्य निधि खातों के रूप में होगा तथा इस खाते के खोल एवं रख-रखाव की व्यवस्था एवं प्रक्रिया वही होगी दिनांक 1-10-2005 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों पर रामगढ़ भविष्य निधि के विषय में लागू है। टियर-2 महालेखाकार सामान्य भविष्य निधि खातों की भौति

शदान पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कों की प्रतिनियुक्ति/वाहय सेवा अवधि में काश वेतन तथा पेंशन अंशदान जमा करने की द्वारा एवं व्यवस्था क्या होगी?

"ग" एवं उससे उच्च रत्न के सरकारी कर्मचारी के खाते खोल कर इनका रख-रखाव करेंगे तथा वर्ग "घ" हेतु पूर्व की भाँति आहरण वितरण अधिकारी /कायालयाध्यक्ष द्वारा इसे किया जायेगा।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/वाहय सेवा पर रहने के कारण कोषागार से एकीकृत भुगतान प्रणाली रो वेतन प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा उसकी भर्ती दिनांक 1-10-2005 से पूर्व की हो, तो वह रथापित प्रक्रिया के अधीन चालान द्वारा अवकाश वेतन अंशदान तथा पेंशनरी अंशदान जमा करेगा। दिनांक 1-10-2005 या उसके बाद नई भर्ती के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/वाहय सेवा पर रहने की अवधि में अवकाश वेतन अंशदान पूर्ववत जमा करेंगे परन्तु पेंशन अंशदान हेतु कर्मचारी एवं नियोक्ता का अंशदान नयी पेंशन योजना के आधार पर चालान द्वारा राजकोष में जमा किया जाय अर्थात वेतन, मंहगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत कर्मचारी के वेतन से एवं इतनी ही धनराशि जहां पर कार्मिक प्रति नियुक्ति/वाहय सेवा पर कार्यरत है उस सदस्य/संगठन द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह सुसंगत लेखांशीर्शक के अधीन जमा की जाएगी।

5. जिन रवायत्तशासी संस्थाओं/स्थानीय निकायों में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होते ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पेंशन फण्ड के विषय में पेंशन फण्ड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृ बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य नि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फण्ड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवर सहित फण्ड मैनेजर को हस्तान्तरित कर दी जाय।

जिन रवायत्तशासी संस्थाओं एवं रथानीय निकायों में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होते ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पेंशन फण्ड के विषय में पेंशन फण्ड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृ बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य नि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फण्ड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवर सहित फण्ड मैनेजर को हस्तान्तरित कर दी जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि, प्रत्येक विवरण कम्प्यूटर पर आधारित है तथा उन्निरन्तर बैंक अप रखा जाय। सामान्य भविष्य निश्चि पर अनुमन्य ब्याज के आधार पर वित्तीय वर्षवार अंशदायी पेंशन कर्मचारीवार अवशेष, वर्षान्त में 15 मई तक आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषागार के माध्यम से लेखा पर्ची कार्मिक उपलब्ध करा दी जाय। ५८ लेखों का 100 प्रतिशत मिलान कोषागार द्वारा किया जाय ताकि वेतन से अंशदान की छटांते रुप्रारम्भिक अवशेष आहरण वितरण अधिकारी, कोषागार एवं निदेशक लेखा एवं हकदारी में समान पुरतांकित हो।

३५६

या: (1) / xxvii(7) / 2007 तददिनांक
उल्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
तनस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
सनस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
3. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को 100 प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12. निदेशक, एनोआई०सी० उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा रो.
राम सिंह
अपर सचिव ।